

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 03/2017
दायर दिनांक : 29.05.2017
आदेश दिनांक : 06.02.2020

श्री प्रवीण पिता सुगनसिंह जी सुराणा निवासी तहसील रोड नाथद्वारा,
तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

—प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई 10 ए, पंचवटी, उदयपुर(राज०)
2. सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा
4. उप पंजीयक नाथद्वारा

—अप्रार्थीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. श्री गिरिश तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02
4. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 व 04

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की भूमि जो नगर नाथद्वारा के बस स्टेण्ड क्षेत्र में स्थित खसरा संख्या 1203 क्षेत्रफल 0.0316 हैक्टर है एवं आराजी नं० 1204 क्षेत्रफल 0.0220 हैक्टर है। कुल योग किता 02 क्षेत्रफल 0.0536 हैक्टर हैं। भूमि के लिये प्रस्तावित क्षतिपूर्ति की राशि 10,61,580/- रुपये अपर्याप्त होने के कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आराजी नं० 1203 रकबा 0-05 बिस्वा एवं आराजी नं० 1204 रकबा 0-3-10 कुल किता 02 कुल संख्या 0-08-10 भूमि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.03.2011 को क्रय की तत्समय विपक्षी संख्या 04 ने इस भूमि की कुल मालियत 98,01,619/- रुपये मानते हुए पंजीयन शुल्क 5,73,393/- रुपये जमा कर उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन किया। अवाप्तशुदा भूमि की विक्रय पत्र के अनुसार

M

दर 9118.29 रुपये वर्गमीटर है। लेकिन प्रार्थी को उक्तानुसार भी भूमि का मुआवजा निर्धारण नहीं किया है। उक्त दर से भी 536 वर्गमीटर की राशि 48,87,405/- रुपये मुआवजा का निर्धारण होना चाहिए था। लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा 10,61,580/- रुपये ही तय किया गया। जो विधि विरुद्ध हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अवाप्त भूमि की सम्पूर्ण राशि 48,87,405/- रुपये मय 12 प्रतिशत ब्याज एवं 01 गुणा तोषण राशि के साथ निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि 10,61,580/- रुपये नियमानुसार तय किया है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है, प्रार्थी विक्रय पत्र के अनुसार दर से राशि चाहता है, जो देय नहीं है। मुआवजा तत्समय प्रचलित डी0एल0सी0 दर से तय कर भुगतान किया है। प्रार्थी जिस भूमि का मुआवजा प्राप्त करना चाहती है उसका RFCTLARR ACT 2013 के तहत मुआवजा निर्धारित डी0एल0सी0 दर से तय कर एवार्ड जारी कर भुगतान कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी नं0 1203 रकबा 0-05 बिस्वा एवं आराजी नं0 1204 रकबा 0-3-10 कुल किता 02 कुल संख्या 0-08-10 भूमि प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.02.2011 को क्रय की तत्समय विपक्षी संख्या 04 ने इस भूमि की कुल मालियत 98,01,619/- रुपये मानते हुए पंजीयन शुल्क 5,73,393/- रुपये जमा कर उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन किया। अवाप्तशुदा भूमि की विक्रय पत्र के अनुसार दर 9118.29 रुपये वर्गमीटर है। लेकिन प्रार्थी को उक्तानुसार भी भूमि का मुआवजा निर्धारण नहीं किया है। उक्त दर से भी 536 वर्गमीटर की राशि 48,87,405/- रुपये मुआवजा का निर्धारण होना चाहिए था। लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा 10,61,580/- रुपये ही तय किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अवाप्त भूमि की सम्पूर्ण राशि 48,87,405/- रुपये मय 12 प्रतिशत ब्याज एवं 01 गुणा तोषण राशि के साथ निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावे।


विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि उक्त भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक दर से तत्काल डी0एल0सी0 अनुसार निर्धारित किया गया है। तथा उस पर भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित किया गया है। उए जारी करने के बाद विक्रय पत्र के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। यदि पेश करते तो मुआवजा उसी अनुसार निर्धारित होता। विक्रय पत्र के आधार पर मुआवजा प्रार्थी को निर्धारित



M


नहीं किया गया है। इसलिए उक्त दस्तावेज पर विचार करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करने हेतु विपक्षी द्वारा सहमति दी है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवाप्तशुदा भूमि आराजी नं० 1203 रकबा 0-05 बिस्वा एवं आराजी नं० 1204 रकबा 0-3-10 कुल किता 02 कुल संख्या 0-08-10 भूमि प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 17.03.2011 से क्रय की गयी है। उक्त प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, प्रार्थी से वादग्रस्त भूमि के दस्तावेज व विक्रय पत्र प्राप्त कर नियमानुसार भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करें। आदेश की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांक: 06.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद